इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 453] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 26 सितम्बर 2013—आश्विन 4, शक 1935

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2013

क्र. एफ-3-78-2011-बत्तीस.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन आयुक्त-सह-संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रस्तुत ग्वालियर निवेश क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना, 2021 में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार उपांतरण करने का निर्णय लिया गया है. अतः मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण सूचना के माध्यम से दिनांक 26 सितम्बर 2013 को प्रकाशित किया जा रहा है. उपांतरणों का विस्तृत विवरण वेबसाईट www.mptownplan.gov.in/www.mptownplan.nic.in पर उपलब्ध है तथा उनका निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय में अवकाश के दिन छोड़कर सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस तक की कालावधि में निरीक्षण किया जा सकेगा:—

(1) अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, कक्ष क्रमांक 302 बी, तृतीय तल, मंत्रालय, भोपाल.

(2) संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, 1- रवि नगर, जी.डी.ए. भवन, द्वितीय तल ग्वालियर.

2. प्रारूप विकास योजना ग्वालियर, 2021 की पुस्तिका में सारणी 2—सा—1, 2—सा—3, 2—सा—4, 2—सा—5, 3—सा—1, 3—सा—7, सारिणी 4—सा—9, तथा कंडिका 2.3, 2.8, 2.9.1. (ब), 3.1, 3.2, 3.3.1 से 3.3.7 तक, 4.11.4, 4.12, 4.15.2, 4.21.1, 4.21.5, 4.21.6 में त्रुटि सुधार, किया जाना प्रस्तावित है.

3. उपांतरण का विवरण—

(अ) विकास योजना 2021 के रंगीन मानचित्र में राष्ट्रीय राजमार्ग बायपास की पूर्वी एवं उत्तरी भाग की ओर आवासीय तथा सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक की कम चौड़ाई की पट्टी के स्थान पर नियंत्रित विकास हेतु उक्त भूमि उपयोगों को कृषि किया जाना प्रस्तावित है.

(ब) भिण्ड मार्ग पर जडेरूआं खुर्द में बस स्टेण्ड की ओर प्रस्तावित वाणिज्यिक उपयोग को हटाया जाना प्रस्तावित है.

(स) विकास योजना 2021 के रंगीन मानचित्र में स्टोन पार्क एवं आई.टी. पार्क का क्षेत्र अनुमोदित अभिन्यास के अनुसार क्रमशः औद्योगिक एवं सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक किया जाना प्रस्तावित है.

(द) प्रारूप विकास योजना, 2021 के अध्याय—5 निम्नानुसार सुधार किया जाना प्रस्तावित है:—

(i) कंडिका 5.23, 5.24, 6.5.3, 6.9 (iv) में सुधार किया जाना प्रस्तावित है.

(ii) कंडिका 5.2, 5.3.1, 5.3.14, 5.3.21, 5.3.22, 5.3.23, 5.3.26, 5.3.32, 5.3.34, 5.3.36, 5.3.39, 5.4, 5.6, 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.7.4.1, 5.7.5, 5.7.6, 5.8.4, 5.8.4.3, 5.14, 5.15.9 (ब) तथा 5.17.1 (अ) को प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है.

(iii) कंडिका 5.3.17, 5.3.18, 5.3.19, 5.3.22, 5.3.23, 5.3.25, 5.3.27, 5.3.28, 5.3.30, 5.3.31, 5.3.33, 5.8.35, 5.7.2, 5.7.3, 5.8.3, 5.8.3 (अ), 5.9, 5.10, 5.10.1 से 5.10.14, 5.11 से 5.12.3 तक, 5.15.9 (अ), 5.16.2, 5.18, 5.20, 5.20.1, 5.20.2, 5.20.3, 5.20.4 तथा 5.21 को विलोपित किया जाना प्रस्तावित है.

(iv) सारिणी क्र. 5—सा—5 से 5—सा—10 तक, 5—सा—38, 5—सा—39, 5—सा—40, 5—सा—41, 5—सा—42 तथा 5—सा—45 में सुधार किया जाना प्रस्तावित है.

(v) सारिणी क्रमांक 5—सा—2 तथा 5—सा—43, को प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है.

(vi) सारिणी क्रमांक 5—सा—2, 5—सा—3, 5—सा—4 को विलोपित किया जाना प्रस्तावित है.

(vii) कंडिका 5.17.1 में (ह) के बाद उपकंडिका (च तथा छ) जोड़ा जाना प्रस्तावित है.

(viii) अनुसूची—1 में बिन्दु क्रमांक 129—नियंत्रित क्षेत्र, जोडा जाना प्रस्तावित है.

(ix) प्रारूप विकास योजना के अध्याय—6 में सारिणी 6—सा—1 एवं 6—सा—2 में टीप जोड़ी जाना प्रस्तावित है.

प्रस्ताव का विवरण www.mptownplan.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है.

उक्त उपांतरण के संबंध में यदि कोई आपत्ति/सुझाव हो तो उसे अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण, मंत्रालय, भोपाल के कार्यालय में लिखित रूप से सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस की कालावधि में प्रस्तुत किये जा सकते हैं. समयावधि में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया जा सकेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.